संख्या-44/2020/1969/86-2020-41(सा0)/19

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब,

सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांकः 30 अक्टूबर, 2020

विषयः- प्रदेश में कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत बालू/मोरम के खनन पट्टों के अन्तर्गत मई, 2020 तक की देय बकाया धनराशि को माह दिसम्बर, 2020 से मार्च 2021 के मध्य देय आनलाईन मासिक किश्तों के साथ आफलाईन माध्यम से जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि शासनादेश सं0-874/86-2020-14(सा0)/2020 दिनांक 12.06.2020 द्वारा वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत बालू/मोरम के पट्टाधारकों को त्रैमास जनवरी, 2020 की देय धनराशि को विलम्बतम् दिनांक 30.09.2020 तक जमा कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2. शासनादेश संख्या-789/86-2020-41(सा0)/2019 दिनांक 28.05.2020 द्वारा बालू/मोरम के खनन पट्टाधारकों को त्रैमासिक किश्तों के स्थान पर मासिक देय किश्त की सुविधा प्रदान करते हुए दिनांक 01.06.2020 से देय किश्तों को अग्रिम रूप से आनलाईन माध्यम से भुगतान किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

3. शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि उपरिलिखित शासनादेश दिनांक 12.06.2020 द्वारा दी गयी शिथिलता के उपरान्त भी उपखनिज बालू/मोरम के कई खनन पट्टें बकाया धनराशि होने के कारण संचालित नहीं हुए हैं, जिसके कारण खनिज की उपलब्धता के साथ-साथ खनिज से प्राप्त होने वाले राजस्व पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसका मुख्य कारण प्रदेश में कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण निर्माण कार्य में मंदी परिलक्षित हो रही है।

4. उक्त के सम्बन्ध में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-1201/एम-228/2017(खनन नीति(VI), दिनांक 29.10.2020 में यह आख्या दी गयी है कि प्रदेश में विकास कार्यो एवं आम जनमानस को खनिजों की उपलब्धता बनाये रखने के लिये अधिक संख्या में खदाने संचालित करने एवं खनन उद्योग में लगे खनन व्यवसायियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उक्त शासनादेश दिनांक 12.06.2020 में खनन पट्टाधारकों को प्रदान की गयी शिथिलता को विस्तारित करते हुए, खनन पट्टे के अन्तर्गत मई, 2020 तक के बकाया को 04 समान किश्तों में विभाजित कर आफलाईन माध्यम से माह दिसम्बर, 2020 से मार्च 2021 के मध्य आनलाईन मासिक किश्तों के साथ, नियमानुसार जमा कराया जाना उचित प्रतीत होता है।

5. अतएव उपरोक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में विकास कार्यो एवं आम जनमानस के लिए खनिजों की उपलब्धता बनाये रखने हेतु अधिक संख्या में खदाने संचालित करने एवं खनन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

उद्योग में लगे खनन व्यवसायियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उक्त शासनादेश दिनांक 12.06.2020 में खनन पट्टाधारकों को प्रदान की गयी शिथिलता को विस्तारित करते हुए, खनन पट्टे के अन्तर्गत मई, 2020 तक की बकाया धनराशि को 04 समान किश्तों में विभाजित कर आफलाईन माध्यम से माह दिसम्बर, 2020 से मार्च 2021 के मध्य आनलाईन मासिक किश्तों के साथ, नियमानुसार जमा कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,
डा0 रोशन जैकब
सचिव।

संख्याः1969(1) /86-2020, तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके संख्या-1201/एम-228/2017(खनन नीति(VI), दिनांक 29.10.2020 के सन्दर्भ में।
4. समस्त जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5. गाई फाईल।

आज्ञा से,
(हृदय नारायण सिंह यादव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।